भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 53
सोमवार, 21 जुलाई, 2025 (30 आषाढ़, 1947 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

यात्रियों से मनमाना किराया वसूला जाना

53. श्री नीरज डांगी:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के बाद विमानन कंपनियों द्वारा हवाई किराए में की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार द्वारा विमानन कंपनियों को आदेश जारी करने के बावजूद भी विमानन कंपनियों ने किराए में बढ़ोतरी की है;
(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा विमानन कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं के बाद भविष्य में विमानन कंपनियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए कोई नीति बनाई है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): पहलगाम हमले की दुखद घटना के बाद, जम्मू-कश्मीर से पर्यटकों के बड़े पैमाने पर पलायन की आशंका थी, जिससे सामान्य स्थिति में हवाई किराए में उछाल आ जाता। तदनुसार, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सभी एयरलाइनों और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों को परामर्श जारी किया है। ये निर्देश श्रीनगर से पूरे भारत के विभिन्न गंतव्यों तक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने, हवाई किरायों का स्पष्ट और पारदर्शी प्रदर्शन सुनिश्चित करने और फंसे हुए पर्यटकों को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किए गए थे। एयरलाइनों से सर्ज प्राइसिंग से बचने का भी आग्रह किया गया था, और इस उद्देश्य के लिए, एयरलाइनों को दो प्रमुख मार्गों, अर्थात् श्रीनगर-दिल्ली (10,000 से कम) और श्रीनगर-मुंबई (13,000 से कम) के लिए हवाई किरायों की सीमा तय करने का निर्देश दिया गया था। इस सीमा का उल्लंघन करने वाली किसी भी एयरलाइन के खिलाफ नियामक कार्रवाई की जानी थी।

यात्रियों की चुनौतियों को समझते हुए, एयरलाइनों ने रद्दीकरण और पुनर्निर्धारण शुल्क माफ करके उनके बोझ को कम करने के लिए लगन से कार्रवाई की। सक्रिय कार्रवाई करते हुए, न केवल श्रीनगर से/के लिए उड़ानों की संख्या दिनांक 22/04/25 को 51 से बढ़ाकर दिनांक 23/04/25 को 56 की गई, बल्कि कीमतों को भी नियंत्रण में रखा गया।

इन हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप, श्रीनगर से हवाई किराए में दो दिनों में उल्लेखनीय कमी देखी गई। श्रीनगर से दिल्ली की एक उड़ान, जिसका किराया 21 अप्रैल को 20,000 रुपये से अधिक था, 24 अप्रैल तक 10,000 रुपये से भी कम होकर और भी किफायती हो गया।

(घ) एयरलाइनों को अपनी वेबसाइट के होम पेज पर टैरिफ शीट को प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक टैरिफ निगरानी इकाई (टीएमयू) स्थापित की है जो एयरलाइनों की वेबसाइटों का उपयोग करके चुनिंदा घरेलू सेक्टरों पर हवाई किरायों की मासिक आधार पर यादृच्छिक निगरानी करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइनें अपने द्वारा घोषित सीमा से अधिक हवाई किराया न वसूलें।

हवाई किराए सरकार द्वारा विनियमित नहीं होते हैं और एयरलाइनों को विमान नियम, 1937 के नियम 135 का पालन करते हुए, अपनी परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर अपने हवाई किराए को निर्धारित करने की छूट होती है। हालांकि सरकार आम तौर पर बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए हवाई किराए को विनियमित करने से बचती है, फिर भी वह सतर्क रहती है, और यात्रियों की सुविधा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक मूल्य निर्धारण को रोकने के लिए सरकार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्षमता स्थानांतरित करने के लिए हस्तक्षेप करती है।

भारतीय विमानन उद्योग की जटिल गतिशीलता को देखते हुए, सरकार इस क्षेत्र के विकास को समर्थन देने के लिए सक्षम वातावरण का सृजन करके एक सुविधाप्रदाता की भूमिका निभा रही है।

******